29.1.25

ह०/-
28/1/25

पत्रावली वास्ते आदेश पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित,
मैंने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम
मंसाऊ प. ह. लिगोनी में हाल खाता खे.नं. 674/362 (0.0464)
675/362 (2.2740) स्थित है जो आवेदकगण की पैतृक भूमि है।
पैतृक भूमि के अनुसार आवेदकगण का हक हकूक निहित
है। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक नं. 1 के नाम है।
अनावेदक नं. 1 आवेदकगण के साथ मारपीट करता है
व भूमि को विक्रय करने की धमकी देता है। वकील को
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली
के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि अना. नं. 1 विवादित
आराजी को खुर्द-बुर्द करने में सफल हो जाता है तो आवेदकगण
के हक हिस्से पर कुठाराघात होने की संभावना है अतः
आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला, सुविधा
का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिंदु भी आवेदकगण
के हक में होने से विवादित आराजी उपरोक्त वर्णित अना.
नं. 1 से वाद के निस्तारण तक अनावेदकगण को
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत
है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबंद किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण तक
विवादित आराजी की यथा स्थिति बनाये रखें तथा
राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन न करें। पत्रावली
फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा ~~[illegible]~~
दा० मूल वाद के शामिल रहे।

ह०/-
29/01/25

[illegible]
झुंझुनूं